



0151-2250006

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Plot No. SPL-33, Phase-2nd, Bhicchwal Industrial Area,
Bikaner – 334001

Email: ro-bikaner@gmail.com

www.rpcb.rajasthan.gov.in

RPCB/RO BIKANER/BM-708/ 1446

DATE : 09/11/2023

Member Secretary,
State Level Expert Appraisal Committee, Rajasthan
4, Institutional Area, Jhalana Doongri
Jaipur.

Sub: - Regarding Public Hearing for Environmental Clearance of Mining Project of M/s Avlon Mines and Minerals, (M.L. No 31/2021, Ref No 20211000044401) having Lease Area – 3.9883 Ha (Cluster Area – 27.8186 Ha.) & Production Capacity – 310200 TPA (ROM) (Ball Clay, Silica Sand, Mining), Near Village- Samrokhi, Tehsil- Kolayat, District- Bikaner.

Ref.: - Public Hearing conducted on dated 29.09.2023

Sir,


Apropos above, it is informed that the public hearing in the matter of Environment Clearance for the Mining Project of M/s M/s Avlon Mines and Minerals, (M.L. No 31/2021, Ref No 20211000044401) having Lease Area – 3.9883 Ha (Cluster Area – 27.8186 Ha.) & Production Capacity – 310200 TPA (ROM) (Ball Clay, Silica Sand, Mining), Near Village- Samrokhi, Tehsil- Kolayat, District- Bikaner was conducted on 29.09.2023 at Gram Panchayat Bhawan Guda, Tehsil- Kolayat, District- Bikaner.

The minutes of the public hearing along with CD of videography of Proceedings and photographs are being forwarded in original for examination and further necessary action at the level of State level Environmental Impact Assessment Authority (SEIAA) under EIA notification, 2006.

Enclosed: -

- (i) One set of minutes of the Public Hearing
- (ii) One set o Attendance Sheet
- (iii) Copy of Objection letter
- (iv) One set of Videography of the proceedings (1 CD)
- (v) One set of Photographs

Yours Sincerely


(Pradeep Kumar Asnani)
Regional Officer
RSPCB, Bikaner

Copy to following for information & necessary action: -

1. Member Secretary/Group Incharge (Mines), Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
2. Additional District Magistrate (Adm.), Bikaner
3. Analyst Cum Programmer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur with request to upload the proceedings of public hearing on Board's website.
4. M/s Avlon Mines & Minerals Private Limited, Khasra No 76/92, Bikaner


Regional Officer

जन-सुनवाई कार्यवृत्त

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत मैसर्स एवलोन माईन्स एण्ड मिनरल्स, (खसरा नम्बर 76), एम.एल. नम्बर 31/2021, रेफरेन्स नम्बर 20211000044401, क्षेत्रफल 3.9883 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 310200 टी.पी.ए. (रोम) (बॉल क्ले, सिलिका सेंड), निकट ग्राम-समोरखी तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर जो कि क्लस्टर परियोजना { मैसर्स एवलोन माईन्स एण्ड मिनरल्स, (खसरा नम्बर 76), एम.एल. नम्बर 31/2021, रेफरेन्स नम्बर 20211000044401, क्षेत्रफल 3.9883 हैक्टेयर उत्पादन क्षमता 310200 टी.पी.ए.(रोम); मैसर्स श्रीमति सगतू देवी, एम.एल. नम्बर 05/2018, रेफरेन्स नम्बर-201810000150, क्षेत्रफल 3.8804 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 184995 टी.पी.ए.; मैसर्स के.के. माईन्स, एम.एल. नम्बर 26/2019, रेफरेन्स नम्बर-2019100004713, क्षेत्रफल 3.9950 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 328950 टी.पी.ए.; मैसर्स के.के.माईन्स, एम.एल. नम्बर 27/2019, रेफरेन्स नम्बर-2019100004718, क्षेत्रफल 3.9948 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 332820 टी.पी.ए.; मैसर्स महेन्द्र बोथरा, एम.एल. नम्बर 62/2019, रेफरेन्स नम्बर-2019100009112, क्षेत्रफल 3.9940 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 475200 टी.पी.ए.; मैसर्स रिद्धी सिद्धी माईन्स, एम.एल. नम्बर 67/2019, रेफरेन्स नम्बर-2019100009740, क्षेत्रफल 3.9821 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 400920 टी.पी.ए.; मैसर्स देवी लाल, एम.एल. नम्बर 66/2019, रेफरेन्स नम्बर-2019100009738, क्षेत्रफल 3.9840 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 402290 टी.पी.ए.} कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 27.8186 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-2435375 टी.पी.ए., निकट ग्राम- समोरखी, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर में स्थित है, की प्रस्तावित खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई दिनांक 29.09.2023 को ग्राम पंचायत भवन-गुड़ा, तहसील-कोलायत जिला-बीकानेर (राजस्थान) में प्रातः 11.00 बजे से जिला कलेक्टर बीकानेर के प्रतिनिधि श्री प्रतिभा देवठिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन), बीकानेर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 27.08.2023 को समाचार पत्र दैनिक युगपक्ष एवं इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित करवाई गई थी जिसकी प्रतियाँ परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री प्रदीप कुमार आसनानी, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर ने सभी आगुन्तको का स्वागत करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अंतर्गत सुनवाई की आवश्यकता /प्रक्रिया के बारे में अवगत करवाया एवं एवं बताया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा सभी आमजन से खनन परियोजना से जुड़ी जानकारी को ध्यान से सुनने एवं समझने हेतु निवेदन किया गया तथा पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने के बाद आपत्ति या सुझाव दर्ज करवाने हेतु भी निवेदन किया गया। इसके पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु मैसर्स एवलोन खनन ईकाई एण्ड मिनरल्स, माईन्स के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार "मैसर्स मंत्राज ग्रीन रिसोर्सेज लिमिटेड" को आमंत्रित किया गया।



परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, जिसके अन्तर्गत बताया कि इस खनन ईकाई का एम.एल. नम्बर 31/2021, कुल खनन क्षेत्र 3.9883 हेक्टेयर, खनिज— बॉल क्ले, सिलिका सैंड एवं उत्पादन क्षमता 310200 टी.पी.ए.(रोम) है। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, खनिज भण्डार, क्लस्टर परियोजना का क्षेत्रफल मय नक्शा, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर के क्षेत्रीय अधिकारी महोदय श्री प्रदीप कुमार आसनानी ने जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपना आक्षेप एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

श्री दिलीप सिंह ने आक्षेप दर्ज करवाते हुए कहा कि पट्टा धारक द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना में वृक्षारोपण नहीं किया जायेगा। इनके द्वारा नियमों की पालना नहीं की जायेगी। इनके द्वारा वाहनों को तिरपाल से नहीं ढका जायेगा साथ ही ऑवरलोड ट्रकों के निकलने से ग्रामीणों को समस्याएँ होंगी। खनन ईकाई में कार्यरत श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं करवाये जायेंगे। खनन के दौरान होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिये कोई उपाय नहीं किये जायेंगे। सड़कों पर पानी का छिड़काव नहीं किया जायेगा। हरित पट्टीका हेतु वृक्षारोपण नहीं किये जायेंगे। खनन में उपयोग होने वाली मशीनों का सही प्रकार से रखरखाव नहीं करेंगे जिससे आस-पास के लोगो को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यह भविष्य में ग्रामीणों का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे। पट्टेदारों व ग्राम पंचायत का समर्थन नहीं करेंगे। क्षेत्र में सार्वजनिक सुविधा व विकास के लिये सहायता प्रदान नहीं करेंगे। स्थानीय निवासियों को कार्य न देकर बाहर के लोगों को रोजगार देंगे। वर्षा के जल में क्ले धुल कर आस पास के खेतों में जायेगा उससे किसानों को भारी नुकसान होगा। माईनिंग के दौरान कई बार विषेले प्रदार्थ निकलेगें जो मिट्टी को प्रदूषित करेंगे। ऑवर बर्डन को आस पास के किसानों की भूमि पर डाल दिया जायेगा। आस-पास के जीव जन्तुओं को माईनिंग के कारण परेशानी का सामना करना पड़ेगा। माईनिंग के कारण आस-पास के तालाब भी प्रभावित होंगे। माईनिंग क्षेत्र के चारो तरफ किसी प्रकार की तारबंदी नहीं की जायेगी। श्री दिलीप सिंह द्वारा उक्त आक्षेपों को लिखित में क्षेत्रीय अधिकारी को प्रस्तुत किया गया जो कि परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने दिये लिखित प्रस्ताव के ऊपर खनन ईकाई के प्रतिनिधि से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया।

खनन ईकाई के प्रतिनिधि श्री शेखर चावला द्वारा बताया गया कि उक्त खनन ईकाई अभी प्रस्तावित है जिसके पर्यावरण स्वीकृति मिलने के उपरान्त शुरू होने पर सभी नियमों एवं शर्तों यथा पौधारोपण, नियमित पानी का छिड़काव स्थानीय लोगों को रोजगार जैसे सुझावों की पूर्ण





पालना की जायेगी। श्री चावला ने यह भी कहा कि ग्राम पचायत एवं स्थानीय निवासीयों के सहयोग से सभी ग्रामीणों के हितों का ध्यान रख कर गाँव के विकास हेतु उचित प्रयास किये जायेंगे। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने ग्रामवासियों से निवेदन किया की अगर कोई और सुझाव है तो कृपया बताईये।

श्री रामदयाल मेघवाल, निवासी ग्राम गुढ़ा ने कहा कि खनन ईकाई में काम करने वाले श्रमिकों के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता तथा आवश्यक पी.एफ. एवं बीमा सम्बन्धि सुविधाएँ प्रदान नहीं की जाती है। जब श्रमिक के साथ कोई हादसा हो जाता है अथवा वो बीमार हो जाता है तो उसकी मदद हेतु खनन पट्टा धारकों द्वारा कोई प्रावधान नहीं किये जाते है। जिसके प्रत्युत्तर में खनन इकाई के प्रतिनिधि द्वारा श्रमिकों के हितों का ध्यान रखने का आश्वासन दिया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय ने सभी का अभिवादन करते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा खनन इकाई एवं ग्राम वासियों के बीच समन्वय स्थापित करने में पूर्ण सहयोग किया जायेगा।

अन्त में श्री प्रदीप कुमार आसनानी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर ने श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय एवं उपस्थित जन समुदाय को जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया एवं जनसुनवाई के समापन की घोषणा की।


(प्रदीप कुमार आसनानी)
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.रा.प्र.नि.म., बीकानेर


(प्रतिभा देवतिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
कार्यालय, जिला कलक्टर, बीकानेर